

2.5.18

पञ्जाब हाigh कोर्ट नारास में पेश हुई। पञ्जाब हाigh
स्वयं दस्तावेज का ध्यान पूर्वक जांचने का निर्णय हुआ।
राजस्व रिकार्ड पञ्जाब नदी सं. 2068-2071 ग्राम श्योनामपुरा
के ग्राम नं. 159, रकबा 8.30 है। एवं नं. 140, 156
157/1, 158, 161, 162 किला-6 कुल रकबा 10.48 है।
के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 रिकार्डों के स्वामतदार हैं।
उक्त सार्वजनिक भूमि संयुक्त स्वामतदारी भूमि है तथा
भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। बारा 53
के प्रावधानानुसार वादी एवं प्रतिवादी गण राजस्व रिकार्ड
में दर्ज हिस्सा के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने
के अधिकारी हैं।

आदेश

कादम स्विकार किया जाता है तथा प्राथमिक
डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम श्योनामपुरा
के वर्तमान भूमि नं. 159 रकबा 8.30 है। एवं
नं. 140, 156, 157/1, 158, 161, 162 किला 6
कुल रकबा 10.48 है। का वादी एवं प्रतिवादी सं.
1 गामत 9 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं
कठना अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए
विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया
जाता है। तदनुसार लक्ष्मी लक्ष्मी उदयपुरवादी
उभय पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव
तैयार कर तथा मध्य नक्षा को दो प्रतिभों में
पञ्जाब हाigh कोर्ट में प्रस्तुत करें। डिक्री पचासवीं है।

निर्णय हाigh डि. 2.5.18 को कोर्ट नारास
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पञ्जाब हाigh कोर्ट